न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:– 102/2024

ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.......अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24-12-2024

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मुझ प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 844/343, 846/391 तादादी क्रमशः 1.2014, 1.0749 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2763 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 376 वाके रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा खेत खसरा संख्या 403 तादादी 11.5336 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 313 वाके रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 125/456 हिस्सा है। इन दोनों खातों में मुझ प्रार्थी का नाम मोडूराम पुत्र किशनाराम दर्ज है। जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका है। मुझ प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मार्क सीट, बैंक पास बुक आदि समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका अंकित है। मोडूराम मेरा बोलता नाम है जबकि ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका मेरा दस्तावेजी नाम है। राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम मोडूराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश ढाका होने से मुझे बैंक ऋण लेने में परेशानी हो रही है। मुझ प्रार्थी ने दिनांक 21.10.2024 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम तेनदेसर के वर्तमान खाता संख्या 313 व 376 में मेरा नाम मोडूराम पुत्र किशनाराम की जगह ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने इस प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

में अपना नाम मोडूराम पुत्र किशनाराम की जगह ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मार्क सीट, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोडूराम पुत्र किशनाराम अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम तेनदेसर के खाता संख्या 313 (खसरा संख्या 403) व खाता संख्या 376 (खसरा संख्या 844/343, 846/391) में प्रार्थी का नाम मोडूराम पुत्र किशनाराम को संशोधित किया जाकर ओमप्रकाश ढाका पुत्र किशनाराम ढाका दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 24-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)